HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 872/2026

Ajay Swami S/o Shri Roshan Swami, R/o House No. 287, Kalakar Kachhi Basti, Near Panipech, Shastri Nagar, Jaipur. (At Present Confined At Central Jail Jaipur).

----Petitioner

Versus

The State of Rajasthan, Through PP

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Girraj P Sharma, Adv. Ms. Nikita Sharma, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Manvendra Singh, PP

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

27/02/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पुलिस थाना विद्याधर नगर, जयपुर शहर (उत्तर) में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 462/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 103(1), 238(a), 3(5) भारतीय न्याय संहिता में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, उसे मिथ्या लिप्त किया गया है। सहअभियुक्त नवीन कुमार पर यह आरोप है कि उसने नशीले पदार्थ का इंजेक्शन मृतक भवानी सिंह के लगाया। यदि यह आरोप सत्य है तो वह सहअभियुक्त नवीन कुमार पर है, उसने मृतक भवानी सिंह की हत्या की होगी, लेकिन प्रा. र्थी/अभियुक्त पर मृतक की हत्या करने का आरोप नहीं है। उस पर केवल

मात्र यह आरोप है कि वह सहअभियुक्त नवीन कुमार के साथ स्कूटी पर बै. ठकर जा रहा था। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कोई आपराधिक कृत्य किये जाने का तथ्य अनुसंधान के दौरान सामने नही आया है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका है, प्रकरण के विचारण में समय लगेगा। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उसे जमानत पर रिहा किया जावे।

विद्वान लोक अभियोजक का बहस के दौरान यह तर्क रहा है कि सी.सी. टी.वी. कैमरे में स्पष्ट रूप से यह दर्शित किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने सहअभियुक्त नवीन कुमार के साथ मिलकर उसके साथ स्कूटर के पीछे बैठकर मृतक भवानी सिंह को पकड़कर ले गये और उसकी लाश को पटक दिया। अतः प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए यह जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

मैंने उभय पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वर्तमान प्रकरण में घटना की रिपोर्ट के अनुसार घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षी नही है। अनुसंधान के दौरान यह तथ्य सामने आया है कि प्रार्थी/अभियुक्त अजय स्वामी सहअभियुक्त नवीन कुमार के साथ भवानी सिंह रेल्वे स्टेशन जयपुर पर पार्सल घर पर खुली मजदूरी तथा रेल से काम हेतु जयपुर आने वाले यात्रियों को आसपास की होटलों में किराये पर कमरे दिलवाने का काम करते थे, जिसका मृतक व अभियुक्तगण को कमीशन मिलता था। मृतक भवानी सिंह अभियुक्तगण के यात्रियों से सम्पर्क कर उनको अपने साथ ले जाकर दूसरी होटल में रूकवाता था, इस कारण मृतक भवानी सिंह एवं अभियुक्तगण के बीच आपस में मन–मुटाव था एवं अभियुक्तगण मृतक से रंजिश रखते थे। अनुसंधान के दौरान यह तथ्य सामने आया है कि

दिनांक 20.10.2025 को रात्रि के समय सहअभियुक्त नवीन कुमार ने मृतक भवानी सिंह की बांयी भुजा पर नशे की दवा में एविल घोलकर इंजेक्शन लगा दिया। जिससे मृतक के हिचकियों के साथ टूटी हुई सांस आयी। सहअभियुक्त नवीन कुमार ने मृतक को मरा हुआ समझकर स्कूटी पर बिठाया व पीछे प्रा. र्थी/अभियुक्त अजय स्वामी को बैठाया।

अनुसंधान के दौरान यह तथ्य भी सामने आया है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने अपने हाथ से मृतक भवानी सिंह का मुंह व नाक भींच लिया व उसके शरीर में कोई हरकत नही होने पर प्रार्थी/अभियुक्त व सहअभियुक्त ने मृतक को गली की तरफ उतार कर स्कूटी की सीट पर बीच में बैठे होने की अवस्था में रखा व अम्बाबाड़ी, जयपुर आये और वहां लाश को पटक दिया। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा लाश को स्कूटी पर रखने व रास्ते में अम्बाबाड़ी लाकर पटकने की सीसीटीवी फुटेज भी हैं। प्रार्थी/अभियुक्त पर मृतक भवानी सिंह की हत्या का षड्यंत्र रचने का आरोप है। प्रकरण में एफ.एस.एल. रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है, महत्वपूर्ण साक्षीगण के बयान लेखबद्ध होना शेष है, प्रकरण के विचारण में समय लगेगा।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों तथा प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण–दोषों पर टिप्पणी किये बिना इस प्रक्रम पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **अजय स्वामी पुत्र रोशन स्वामी** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J

MANISH SAINI /35